छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | चतुर्दश सत्र | अंक-04

रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई, 2022

(श्रावण 3, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. जन्म दिवस की बधाई

मानननीय अध्यक्ष ने श्री सौरभ सिंह, सदस्य को जन्म दिवस के अवसर पर अपनी एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने भी इस अवसर पर बधाई दी।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05, 07 एवं 09 से 13 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 06, एवं 08 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः श्रीमती ममता चन्द्राकर, श्री प्रमोद कुमार शर्मा अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 45 तारांकित एवं 78 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अनुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22,

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021,

पटल पर रखे ।

4. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल एवं अन्य प्रतिपक्षी सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

माननीय सभापति ने सूचित किया कि माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

(निरंतर व्यवधान होने से सदन की कार्यवाही 12.35 बजे स्थगित की जाकर 12.45 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, सौरभ सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने प्रदेश में भू-माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को नहीं मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 3 (2) का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

(1.34 बजे से 03.02 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

माननीय सभापति ने ध्यानाकर्षण सूचना हेतु श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य का नाम पुकारा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति का उल्लेख किया तथा आग्रह किया कि भविष्य के लिए निर्देशित करेंगे कि विधान सभा की चर्चा के समय अधिकारी (सदन में) उपस्थित रहें ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि हम मुख्य सचिव को निर्देशित करेंगे कि सदन में जिस विषय में चर्चा हो उससे संबंधित अधिकारी अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहें ।

(3) सर्वश्री नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, सदस्य ने सिमगा तथा अकलतरा में स्पंज आयरन उद्योग लगाये जाने का ग्रामीणों द्वारा विरोध किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया ।

7. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
(2) श्री सौरभ सिंह
(3) श्री लालजीत सिंह राठिया
(4) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
(5) डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अजय चन्द्राकर, सभापति, लोक लेख समिति, ने लोक लेखा समिति का बयासीवां से नब्बेवां तक (09) प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गयीः-

(1) श्री चन्दन कश्यप

(2) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

(3) श्रीमती छन्नी चन्दू साहू

(4) श्री बघेल लखेश्वर

(5) श्रीमती इंदू बंजारे

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) पुर: स्थापित किया ।

मानननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) पर विचार एवं पारण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(2) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022)

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शैलेष पाण्डेय, सौरभ सिंह, देवेन्द्र यादव

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने स्थित स्पष्ट की ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 5 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री अजय चन्द्राकर, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्री शैलेष पाण्डेय

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022)

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री अजय चन्द्राकर, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सर्वश्री सौरभ सिंह, शैलेष पाण्डेय

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(5) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती संगीता सिन्हा, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्री शैलेष पाण्डेय

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में सम्मिलित पद क्रमांक 7 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री देवेन्द्र यादव,

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(6) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री अजय चन्द्राकर, देवेन्द्र यादव, सौरभ सिंह

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(7) छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022)

श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री अजय चन्द्राकर, शैलेष पाण्डेय, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सर्वश्री रामकुमार यादव, बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 30 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022) पर पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ ।

(8) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022)

श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पर विचार किया जाये ।

11. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा विधेयक पर चर्चा कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

13. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने दिनांक 21 जुलाई, 2022 के प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक-339) के विषय पर चर्चा उठाई ।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की ।

रात्रि 07.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2022 (श्रावण-4, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा